न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

सुपुदर्गी प्रार्थना पत्र संख्या 15/25 वर्ष 2025
जीसीएमएस संख्याः– 2025/56

बउनवानीः–नरेन्द्र पुत्र शंकर लाल लुहारिया जाति गाडिया लुहार निवासी भैरू दरवाजे के पास आलनपुर थाना कोतवाली सवाईमाधोपुर

बनाम

1. सरकार जरिये थानाधिकारी थाना खण्डार जिला सवाईमाधोपुर

(प्रार्थना पत्र विरूद्व मुकदमा संख्या 21/2025 थाना खण्डार, अन्तर्गत धारा 5,6,8,9 राजस्थान गौवंशीय पशुवध का प्रतिषेध ओर अस्थायी प्रवजन या निर्यात का विनियमन नियम 1995)

उपस्थितः–श्री हनुमान गुर्जर

वकील प्रार्थी

–:निर्णय :– दिनांकः– 6.8.2025

वकील प्रार्थी द्वारा सुपुदर्गी प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित कर कथन किया कि प्रार्थी नरेन्द्र पुत्र शंकर उम्र 25 वर्ष जाति गाडिया लुहार निवासी भैरू दरवाजा शहर सवाईमाधोपुर का निवासी है तथा प्रकरण संख्या 21/2025 मे थानाधिकारी थाना खण्डार द्वारा जप्त वाहन मोटर साईकिल संख्या **RJ 25 SZ 2569 Chechis Number MBLHAW288P4E05289** का पंजीकृत स्वामी है.। थानाधिकारी थाना खण्डार द्वारा प्रार्थी की उक्त मोटर साईकिल को अन्तर्गत धारा 5,6,8,9 राज0द गौवंश अधिनिय के तहत गलत तरीके से जप्त की गयी है जबकि प्रार्थी की उक्त मोटर साईकिल का उक्त प्रकरण से कोई संबंध एवं वास्ता नही है। उक्त प्रकरण में अभियुक्तगणों की जमानत न्यायालय सी.जे.जे.एम. साहब खण्डार से हो गयी है तथा उक्त प्रकरण मे जप्त उक्त वाहन को पुलिस को अब कोई आवश्यकता भी नही ऐसा थानाधिकारी खण्डार की रिपोर्ट मे भी अंकित किया है। प्रार्थी मजदूर पेशा व्यक्ति है तथा उक्त मोटर साईकिल की प्रत्येक कार्य में बहुत आवश्यकता होती है तथा मोटर साईकिल जप्त रहने से खराब होने का अन्देशा भी रहेगा।

थानाधिकारी थाना खण्डार ने जप्त उक्त वाहन मोटर साईकिल संख्या **RJ 25 SZ 2569 Chechis Number MBLHAW288P4E05289** के संबंध में लिखा है कि प्रार्थी उक्त वाहन का रजिस्टर्ड स्वामी है तथा उक्त वाहन को प्रार्थी की सुपुर्दगी मे दिया जाता है तो अनुसंधानकर्ता को कोई ऐतराज नही है। उक्त आरोपी पर उक्त मुकदमा के अलावा मुताबिक रिकार्ड से सावका सजायावी दर्ज नही होना पाया गया है।

वकील प्रार्थी की बहस सुनने एवं थानाधिकारी थाना खण्डार की रिपोर्ट एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन एवं मनन करने के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते है कि प्रकरण मे जप्त वाहन मोटर साईकिल संख्या RJ-25-SZ-2569 Chechis Number MBLHAW288P4E05289 को वाहन मालिक की सुपुर्दगी मे दिये जाने बाबत थानाधिकारी खण्डार की रिपोर्ट के अनुसार अनुसंधानकर्ता को कोई ऐतराज नही है। ऐसी स्थिति मे उक्त वाहन को 50.00 हजार की सुपुर्दगीनामा एवं जमानतनामा पर प्रार्थी वाहन मालिक की सुपुर्दगी मे दिया जाता है। प्रार्थी द्वारा उक्तानुसार सुपुर्दगीनामा एवं जमानतनामा पेश करने पर उक्त वाहन प्रार्थी की सुपुर्दगी मे दिये जाने हेतु थानाधिकारी खण्डार को तहरीर जारी की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नतीजा दर्ज रजिस्टर कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे।

निर्णय आज दिनांक 6.8.2025 को लिखकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kana Ram
Date: 2025.10.21 15:33:57 IST
Reason: SelfAttested

(काना राम)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner